न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 01/2020 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2020/00033**
दायर दिनांक :– 03.01.2020 **निर्णय दिनांक :– 27.08.2025**

1. दुर्गसिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. मांगूसिंह पुत्र मलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. लहर कंवर पत्नी मलसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. भूरसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. सुमेरसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. सुखसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. अमानसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. मेहताबसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. सुगनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. हुकमसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
9. अर्जुनसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. दौलतसिंह पुत्र गायड़सिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
11. नखतसिंह पुत्र गायड़सिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
12. छतरसिंह पुत्र गायड़सिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को उक्त वाद में सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। खसरा नम्बर 370 रकबा 35–10 बीघा सरहद मौजा टेकरा पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में स्थित है। वर्तमान में ग्राम टेकरा में से नवसृजित ग्राम

27/8/25

बोम्बेपुरा सृजित हो जाने से उक्त भूमि ग्राम बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा मे स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में नाहरसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त भूमि के खातेदार नाहरसिंह फौत हो चुके है। उक्त भूमि में नाहरसिंह पुत्र मोतीसिंह लाऔलाद फौत होने से नाहरसिंह के अन्य दो भाई दलपसिंह के वारिसान प्रार्थीगण का 1/2 हिस्साव अचलसिंह के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 का 1/2 हिस्सा रहा और इसी अनुसार ही मौके पर काबिज है। जब नाहरसिंह वल्द मोतीसिंह फौत हुवे तो प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने अकेले के नाम से पुत्र होने का इन्द्राज करा कर नामान्तरकरण संख्या 5 मौजा टेकरा सरासर गलत तरीके से स्वीकृत करवा लिया, जबकि भूरसिंह गंगासिंह का जायन्दा पुत्र है। नाहरसिंह पुत्र मोतीसिंह ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया था। नाहरसिंह पुत्र मोतीसिंह के प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 सभी द्वितीय श्रेणी के वारिसान थे। उक्त नामान्तरकरण संख्या 5 मौजा टेकरा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के विपरित भरा जाकर स्वीकृत किया गया है इसिलये प्रार्थीगण नामान्तरकरण संख्या 5 मौजा टेकरा को निरस्त करवा कर ग्राम बोम्बेपुरा पटवार क्षेत्र टेकरा के खसरा नम्बर 370 रकबा 35–10 बीघा भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के अपने पैतृक 1/2 हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दख्ला अन्दाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

2/8/18

वादगस्त भूमि की नामान्तरकरण संख्या 5 मौजा टेकरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि नारायणसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जो भूरसिंह व अन्य के नाम से वर्तमान में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण नाहरसिंह के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादपत्र में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि नारायणसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जो भूरसिंह व अन्य के नाम से वर्तमान में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण नाहरसिंह के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के उपभोग व उपयोग आदि सुविधा से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी होने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 88,188,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

23/8/18

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/8/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)